न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/3

1. जगदीश प्रसाद पुत्र रामसहाय जाति सैन निवासी दौसा, तहसील दौसा, जिला दौसा।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा, जिला दौसा राजस्थान।
2. तहसीलदार, तहसील सैंथल, जिला दौसा राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा दिनांक 24.11.2021 जो प्रकरण प्रार्थना पत्र नियम 14(4) आंवटन रूल्स अनुवानी सरकार बनाम जगदीश प्रसाद प्रकरण संख्या 37/2008 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री सतीश कुमार पारीक, वकील अपीलान्ट।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पों.नं. 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक– 30.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 24.11.2021 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 09.01.2024 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति कैम्प सैंथल द्वारा दिनांक 23.06.1989 को ग्राम चक हबीबवाला, तहसील दौसा के आराजी खसरा नम्बर 252/1 रकबा 0.75 है0 भूमि का आवंटन जगदीश प्रसाद पुत्र रामसहाय जाति सैन निवासी दौसा, तहसील दौसा, जिला दौसा को किया गया था। जगदीश प्रसाद पुत्र रामसहाय द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार दौसा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.11.2021 द्वारा प्रार्थी तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर आवंटन सलाहकार समिति कैम्प सैंथल की बैठक दिनांक 23.06.1989 के द्वारा ग्राम चक हबीबवाला में अप्रार्थी जगदीश प्रसाद पुत्र रामसहाय के पक्ष में किया गया आवंटन खारिज करने के आदेश पारित किये गये।

3. जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 24.11.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट जगदीश प्रसाद पुत्र रामसहाय द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि को गैर खातेदारी में होना मानकर तथा आवंटन, के शर्तों की पालना नही होना मानकर तथा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नही किया जाना मानकर आवंटन निरस्त किया गया है तथा एक–एक गिरदावरी के आधार पर निर्णय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पारित किया गया है जबकि अपीलांट आवंटी को विधिवत आवंटन किया गया तथा मौके पर आवंटी को कब्जा सम्भलाया गया जिसकी रिपोर्ट पटवारी द्वारा आवंटन व गैर खातेदारी के नामान्तकरण पर स्पष्ट रूप से अंकित की गई है अपीलांट ग्रामीण परिवेश का कानून से अनभिज्ञ व्यक्ति है तथा गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण खुलवाने के बारे में नही समझता है और ये दायित्व भी राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों का था। परन्तु राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना तथा राजस्व रिकार्ड के विपरीत तथ्य अंकित करके निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपीलांट के साथ ही उसी दिन अन्य व्यक्तियों को भी आवंटन किये गये थे ताकि उन सभी का खातेदारी का नामान्तकरण भी रेस्पो० नंबर 1 द्वारा तस्दीक कर दिया गया परन्तु जानबूझकर अपीलांट का खातेदारी का नामान्तकरण तस्दीक नही किया गया तथा गलत तथ्यों के आधार पर नियम 14 (4) आवंटन रूल्स का प्रकरण बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया जिसको स्वीकार करके अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन निरस्त करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत अपीलांट की बिना विधिवत तामील कराये बिना व अपीलांट को बिना सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है क्योंकि अपीलाण्ट को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 23.06.1989 को विधिवत आवंटन किया था तथा भूमि भी आवंटन योग्य थी एवं सिवायचक भूमि थी जिसका अंकन आवंटन आदेश में भी किया गया है तथा आवंटन के बाद अपीलांट आवंटी को कब्जा सम्भलाया गया है जो आवंटन पत्रावली पर पटवारी की रिपोर्ट से भी भली भांति सिद्ध है तथा आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त रहा है व वर्तमान में भी अपीलांट मौके पर काबिज काश्त है। गिरदावरियों में भी काश्त का अंकन है। परन्तु अधीनस्थं न्यायालय ने बिना राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना कानून के विपरीत तरीके से इन तथ्यों पर गौर किये बिना कयासों के आधार पर तथा आवंटन की शर्तों को अपीलांट द्वारा पूर्ण करने के बावजूद भी आवंटन निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अलोटमेंट के समय भूमि सिवाय चक लगानी थी जो नामान्तकरण में दर्ज है तथा भूमि आवंटन योग्य थी। तथा आवंटन फ्रोड व मिसरिप्रजन्टेसन द्वारा करवाये जाने का भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी तहसीलदार दौसा का कथन नही रहा है जबकि आवंटन धोखे से या फ्रोड व मिसरिप्रजन्टेसन करके आवंटन किया गया हो तो ही आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा 30 वर्ष से अधिक पुराने आवंटन को तकनीकी त्रुटि के आधार पर निरस्त नही किया जा सकता तथा अपीलांट के आवंटन में तकनीकी त्रुटि भी नही थी और आवंटित भूमि पर कृषि करने की आवंटन की शर्त में भी संशोधन कर दिया गया है। परन्तु इन सभी तथ्यों पर गौर किये बिना मनमाने तरीके से निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है।अपीलांट को आवंटित भूमि की गिरदावरी में रबी व खरीफ की काश्त दर्ज है व अपीलांट ने अपनी भूमि में बबूल, नीम, अरडू के काफी पेड़ लगा रखे है जो काफी बडे बडे हो रहे हैं तथा आवंटन के बाद अपीलांट ने भूमि में काफी लागत लगाकर भूमि को उपजाऊ बनाया है। परन्तु अधीनस्थ नयायालय ने बिना राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना व भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त होने के बावजूद भी आवंटन को निरस्त करने में कानूनी गलती की है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। रेस्पो० नंबर 1 द्वारा अपीलांट को हैरान व परेशान करने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निहायत ही झूठे आधारों पर प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन रूल्स का प्रस्तुत किया गया था क्योंकि अपीलांट को दिनांक 23.06.1989 को विधिवत आवंटन किया गया तथा आवंटन मजमे आम में पूर्ण कोरम द्वारा व पटवारी रिपोर्ट के आधार पर विधिवत किया गया तथा अपीलांट को कब्जा सुपुर्द किया गया तथा आवंटन के समय से ही अपीलांट अपनी आवंटनशुदा भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

लाभान्वित होता चला आ रहा है परन्तु इन तथ्यों पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से अपीलांट के विधिवत हुये आवंटन को निरस्त करने में गम्भीर कानूनी गलती की है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो० नंबर 1 द्वारा उठाये गये उज्रातों से बाहर जाकर मनमर्जी से गलत तथ्य अंकित कर निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न कानूनी दृष्टान्तों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि लम्बे अर्से के आवंटन को तकनीकी त्रुटि के आधार निरस्त नही किया जा सकता है परन्तु इस तथ्य पर गौर नही करके अपीलांट के हक में लगभग 33 वर्ष पूर्व हुये आवंटन को निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से कयासों के आधार पर विधि विरूद्ध तरीके से निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एक अवैध निर्णय है जिसकी अपील पेश करने की कोई मयाद नही होती फिर भी अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2021 की कतई जानकारी नही थी क्योंकि आलोच्य निर्णय अपीलांट की तामील कराये बिना व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। दिनांक 01.12.2023 को अपीलांट अपनी भूमि पर केसीसी लेने के लिये पटवारी हल्का से मिला तो पटवारी हल्का ने कहा कि तुम्हारी भूमि की जमाबन्दी पर 14 (4) का नोंट लगा हुआ है केसीसी नही मिल सकती आप कोर्ट में जाकर तलाश करो तब अपीलांट ने कोर्ट में जाकर तलाश करवाया तो आलोच्य निर्णय दिनांक 24.11.2021 की जानकारी हुई फिर अपीलांट ने आलोच्य आदेश नकले निकलवाई जो अपीलांट को दिनांक 05.12.2023 को मिली इसके बाद अपीलांट जुकाम बुखार से पीड़ित हो गया व अब ठीक होने पर वकील नियुक्त कर अपील तैयार करवाकर जानकारी से अन्दर मयाद अपील पेश की जा रही है। दफा 5 कानून मयाद का प्रार्थना पत्र अलग से संलग्न है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 24.11.2021 जो प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन रूल्स प्रकरण अनुवानी सरकार बनाम जगदीश प्रसाद प्रकरण संख्या 37/2008 पर पारित किया गया है को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति कैम्प सैंथल द्वारा दिनांक 23.06.1989 को ग्राम चक हबीबवाला, तहसील दौसा के आराजी खसरा नम्बर 252/1 रकबा 0.75 है0 भूमि का आवंटन जगदीश प्रसाद पुत्र रामसहाय जाति सैन निवासी दौसा, तहसील दौसा, जिला दौसा को किया गया था। जगदीश प्रसाद पुत्र रामसहाय द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार दौसा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.11.2021 द्वारा प्रार्थी तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर आवंटन सलाहकार समिति कैम्प सैंथल की बैठक दिनांक 23.06.1989 के द्वारा ग्राम चक हबीबवाला में अप्रार्थी जगदीश प्रसाद पुत्र रामसहाय के पक्ष में किया गया आवंटन खारिज करने के आदेश पारित किये गये हैं। अतः यह अपील अपीलान्ट खारिज कर जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.11.2021 को यथावत रखा जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 01.12.2023 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

में अंकित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हाल अपीलान्ट जगदीश प्रसाद पुत्र रामसहाय को दिनांक 28.12.2015 को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की एक प्रति तामिल कुलिन्दा द्वारा जगदीश प्रसाद के पुत्र मुकेश सैन को दी गयी है। जिसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.02.2016 से लेकर निर्णय दिनांक 24.11.2021 तक बावजूद तामील हाल अपीलान्ट अनुपस्थित रहा है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी रही है। इसलिये अपीलान्ट का यह कथन पोषणीय नहीं माना जा सकता है कि उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं रही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्टका प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.02.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा में अप्रार्थी (हाल अपीलान्ट) बावजूद तामील अनुपस्थित रहा हैं। यदि अपीलार्थी को उज्र था तो अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में प्रभावी पैरवी/प्रतिरक्षण नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार अपीलार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। प्रश्नगत भूमि बंजड़ पड़ी होना अंकित किया गया है। हाल अपीलान्ट द्वारा आवंटित की गई भूमि पर आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.11.2021 द्वारा प्रार्थी तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर आवंटन सलाहकार समिति कैम्प सैंथल की बैठक दिनांक 23.06.1989 के द्वारा ग्राम चक हबीबवाला में प्रार्थी जगदीश प्रसाद पुत्र रामसहाय के पक्ष में किया गया आवंटन खारिज करने के आदेश पारित किये गये। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2021 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.11.2021 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर।